[2021] 7 एस. सी. आर 112

इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड

वी.

कोटक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (ई. ए. आर. एल. आई. आर.)

कोटाक इंडिया वेंचर लिमिटेड) और ओआरएस के रूप में जाना जाता है।

(2019 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 48)

26 मार्च, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 7 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 8 - प्रतिवादी सं. के वरीयता शेयरों को परिवर्तित करने में लागू की जाने वाली गणना और रूपांतरण सूत्र के संबंध में याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच विवाद। 1 4 ने याचिकाकर्ता कंपनी में इक्विटी शेयरों में निवेश किया-उत्तरदाताओं ने वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय के मोचन पर कुछ राशि मांगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर-ओसीआरपीएस, लेकिन याचिकाकर्ता कंपनी

ओ. सी. आर. पी. एस. को भुनाने में विफल-प्रतिवादी ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत करने की मांग की। 7 संहिता-उक्त याचिका में, आवेदन यू/एस। 8 पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के निर्देश की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1996 के अधिनियम का -

एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी यू/एस. द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी। 8 1996 के अधिनियम-के औचित्य-आयोजितः न्यायोचित-जब कोई कार्यवाही आर. ई. एम. में होती है तो विवाद गैर-मध्यस्थ होगा और आई. बी. संहिता की कार्यवाही को आर. ई. एम. में स्वीकार किए जाने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए-यदि चूक होती है और ऋण देय होता है, जिसके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है। 7 , कार्यवाही चल रही है और दिवालिया कार्यवाही की मध्यस्थता उत्पन्न नहीं होगी-यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं की गई है, तो याचिका यू / धारा 7 खारिज हो जाएगी और पक्षकार एक उचित कार्यवाही में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं-तत्काल मामले में, याचिका यू/एस। 7 अभी तक भर्ती नहीं किया गया था, इस प्रकार, की स्थिति ग्रहण नहीं की थी एन. सी. एल. टी. द्वारा किए गए निष्कर्ष में कार्यवाही को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ को देखते हुए दोष नहीं दिया जा सकता है जो दर्शाता है कि

ओ. सी. आर. पी. एस. के विरुद्ध इक्विटी शेयरों का आवंटन अभी भी पक्षों के बीच चर्चा का विषय था और कोई निष्कर्ष नहीं निकला था।

इस पर पहुंचे ताकि इसे डिफ़ॉल्ट के रूप में कहा जा सके-इस प्रकार, निष्कर्ष के बाद से

एन. सी. एल. टी. का कहना है कि कोई चूक नहीं है, इस स्तर पर आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका को खारिज करना उचित है-हालांकि आवेदन यू/एस है। 8 अधिनियम, 1996 की अनुमति है, जो यू/के तहत दायर याचिका पर विचार के अधीन है। अधिनियम, 1996 की धारा 11-कहा गया है कि विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल किया जाना है जिसमें समान सदस्य होते हैं लेकिन अलग से

प्रत्येक समझौते के संबंध में गठित।

अपील को खारिज करना और मध्यस्थता याचिका को अनुमति देना,

न्यायालय

पकड़नाः 1.1 वास्तव में तत्काल प्रकृति की स्थिति में जब धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कुछ कदम उठाए गए थे

उस दिशा में, भले ही मोचन की तारीख को ध्यान में रखा जाए और अनुसूची जे के खंड पर ध्यान दिया जाए, जो दर्शाता है कि मोचन मूल्य बकाया ऋण का गठन करेगा, जब पक्षों के बीच कुछ लेनदेन पर चर्चा की गई थी और इस बिंदु के बाद से निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि क्या यह कंपनी में इक्विटी शेयरों का 30 प्रतिशत था या उचित सूत्र लागू करके 10 प्रतिशत था। निष्कर्ष निकालना और उसके बाद सहमत या असहमत होना, यह अभिनिर्धारित करना और याचिका को स्वीकार करना उचित नहीं होता क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा दावे के अनुसार दावा किया गया था

मूल रूप से सहमत तिथि और एक याचिका दायर की गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विचार की प्रक्रिया में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विशेष मामले के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या चूक हुई है, भले ही अवधि के सख्त अर्थों में कोई ऋण हो, जो तत्काल मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया गया है। [पैरा 20] [130-एफ-एच; 131-ए]

1.2 ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि स्थिति अभी तक नहीं है

इसे चूक कहने के लिए तैयार है, वह भी यदि यह संतुष्ट है कि यह लाभ कमाने वाली कंपनी है और कुछ अन्य कारक जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में उचित आदेश दिए जाएंगे; जिसका परिणाम कॉर्पोरेट देनदार के रुख पर ध्यान देने पर आईबी कोड की धारा 7 के तहत याचिका को खारिज करना हो सकता है। के रूप में अन्यथा यदि प्रत्येक मामले में जहां ऋण है, यदि चूक भी मान ली जाती है और प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है, तो एक कंपनी जो अपना प्रशासन कुशलता से चला रही है और योजनाबद्ध तरीके से अपने ऋणों का निर्वहन कर रही है, उसे भी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में धकेल दिया जा सकता है और बिना किसी वापसी के कार्यवाही में उलझा दिया जा सकता है।

इसलिए

, [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि क्या आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में स्वीकार किया जाना है, पूरी स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब यह दिखाया जाता है कि ऋण देय है और उसका भुगतान नहीं किया गया है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को चूक दर्ज करनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए याचिका; कि ऐसी स्थिति में भी निगमित देनदार के हित को खतरे में नहीं डाला जाता है क्योंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रवेश आदेश एन. सी. एल. ए. टी. और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य हैं जहां किसी भी मामले में आदेश की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। यह विवाद में नहीं हो सकता है कि ऐसा तब भी होगा जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह विचार रखता है कि याचिका सुनवाई के लिए तैयार नहीं है या नहीं है।

याचिका को स्वीकार करने के लिए सभी सामग्री, विशेष रूप से चूक, का गठन करता है, क्योंकि ऐसा आदेश भी एन. सी. एल. ए. टी. और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य रहेगा, जहां उस संबंध में शुद्धता की भी जांच की जाएगी। [पैरा 21] [131-बी-एफ] 1.3 सवाल यह होगा कि क्या प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया एक गंभीर त्रुटि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश के दौरान यह निरीक्षण करके की गई है कि आह्वान

इस तरह के मामले में मध्यस्थता उचित प्रतीत होती है। कार्यवाही का वह चरण, जिस पर उक्त अवलोकन किया गया था, प्रासंगिक होगा। यदि मामला आर. ई. एम. में कार्यवाही की स्थिति तक पहुँच गया है, तो इस तरह का अवलोकन उचित और टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन अन्यथा नहीं होगा। तत्काल मामले में, याचिका को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए आर. ई. एम. में कार्यवाही का दर्जा नहीं लिया गया था। [पैरा 22] [131-जी-एच; 132-ए] 1.4 यह निर्धारित करने के लिए लागू किए जाने वाले परीक्षण कि विषय वस्तु कब मध्यस्थता योग्य नहीं है और इस तरह के परीक्षण को लागू करने पर, आरईएम में कार्रवाई मध्यस्थता योग्य नहीं है। जब कोई कार्यवाही आर. ई. एम. में होती है तो कोई विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं होता है और आई. बी. संहिता की कार्यवाही को स्वीकार किए जाने के बाद ही आर. ई. एम. में विचार किया जाता है। तत्काल मामले में स्थिति अन्यथा है। [पैरा 23] [132-बी; 133-जी]

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम

(2021) 2 एस. सी. सी. 1-निर्भर।

इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v. कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

1.5 आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका को कार्यवाही के रूप में विचार करने का संदर्भ

इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अपना दिमाग लगाना चाहिए था, चूक का निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था और याचिका को स्वीकार करना चाहिए था। प्रवेश पर, कॉर्पोरेट देनदारियों के सभी लेनदारों में तीसरे पक्ष का अधिकार बनाया जाता है और इसका सर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसलिए, केवल याचिका दायर करने और प्रवेश से पहले इसकी विचाराधीनता को आर. ई. एम. में कार्यवाही शुरू करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर विचार करने के लिए याचिका को स्वीकार करना एक प्रासंगिक चरण है जो लंबित मामलों की स्थिति और प्रकृति तय करेगा।

कार्यवाही और मात्र दाखिल करने को दिवाला प्रक्रिया के उद्दीपन के रूप में नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 24] [134-जी-एच; 135-ए-बी]

1.6 विचार के लिए प्रस्तुत किया गया मुद्दा आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक याचिका में उत्पन्न हो रहा है, इसे स्वीकार करने से पहले।

और इसलिए अभी तक रेम में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह के आवेदन में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाने वाला पाठ्यक्रम, यदि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो विचार की आवश्यकता होती है। कानून की स्थिति कि आई. बी. संहिता आई. बी. संहिता की धारा 238 के तहत प्रदान किए गए अन्य सभी कानूनों पर हावी होगी, को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टिकोण से, इस तथ्य के बावजूद कि कथित निगमित देनदार ने अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया था, उसी का स्वतंत्र विचार इसके तहत दायर आवेदन को खारिज करता है।

आई. बी. संहिता की धारा 7 और उसके साथ प्रस्तुत सामग्री उत्पन्न नहीं होगी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण वित्तीय लेनदार द्वारा आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई सामग्री का विज्ञापन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि निगमित देनदार के संस्करण के साथ चूक का संकेत दिया जा सके। यह इस कारण से है कि, के दायरे को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए

आई. बी. संहिता के तहत कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने के लिए एक समय सीमा होने के कारण,

केवल प्रक्रिया में देरी करने के लिए मूनशाइन डिफेंस को बढ़ाकर एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रक्रिया को हराया नहीं जा सकता है। इस दृष्टि से, यहाँ तक कि यदि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत की गई दलीलों का विज्ञापन करे

आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन पर, वित्तीय लेनदार द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच करें और [2021] 7 एस. सी. आर. दर्ज करें।

एक संतुष्टि कि क्या डिफ़ॉल्ट है या नहीं। ऐसा करते समय निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत तर्क को यह निर्धारित करने के लिए भी नोट किया जाएगा कि क्या बचाव में कोई सार है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या कोई चूक है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि वहाँ

चूक है और ऋण देय है, प्रक्रिया में देरी करने के लिए मध्यस्थता का बोगी इस स्थिति के बावजूद उत्पन्न नहीं होगा कि

पक्षों के बीच समझौते में निर्विवाद रूप से एक मध्यस्थता खंड शामिल है। इसके अलावा यदि निष्कर्ष यह है कि चूक हुई है और ऋण देय है, जिसके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को स्वीकार करने के लिए आई. बी. संहिता की धारा 7 की उप-धारा 5 (ए) के तहत विचार के अनुसार आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कार्यवाही तब होगी। स्वयं को एक कार्यवाही में परिवर्तित कर लें जिसमें कुछ भी हो सकता है

प्रभाव जिसके कारण तथाकथित अंतर-विवाद की मध्यस्थता का सवाल नहीं उठेगा। दूसरी ओर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए इस तरह के विचार पर यदि संतोष दर्ज किया जाता है कि कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं की गई है, तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा जैसा कि आईबी कोड की धारा 7 की उप-धारा 5 (बी) के तहत प्रदान किया गया है, जो मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए पक्षों के लिए क्षेत्र खुला छोड़ देगा।

न्यायाधिकरण कानून में यथासंभव उचित कार्यवाहियों में और अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के लिए एन. सी. एल. टी. की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी। [पारस 25,26] [135-बी-एच; 136-ए-सी] 1.7 प्रक्रिया को सारांशित करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही में, यदि ऐसी याचिका को स्वीकार किया जाता है -

निगमित देनदार से चूक और देय ऋण के संबंध में संतुष्टि दर्ज करने वाला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, कोई भी इसके बाद अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत किया गया आवेदन विचारणीय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जहां आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका अभी तक स्वीकार नहीं की गई है और ऐसी कार्यवाही में, यदि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह पहले आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर संतोष दर्ज करके निर्णय ले।

चूक हो या न हो, भले ही अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन को विचार के लिए रखा गया हो। ऐसी स्थिति में, इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड की धारा 7 पर किए गए विचार का स्वाभाविक परिणाम।

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

आई. बी. कोड आवेदन अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन पर आएगा। [पैरा 27] [136-सी-ई] 1.8 दिनांकित 09.06.2020 आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, NCLT ने हालांकि

अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को प्रमुख विचार के रूप में, आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर याचिका को भी साथ लिया जाता है और उक्त आदेश में विचार का एक हिस्सा बनाया जाता है। आदेश के आगे के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत था कि इसके समक्ष मामले पर आगे विचार केवल तभी होगा जब चूक हो और ऋण देय हो। यह आदेश के पैरा 5.13 में निहित अवलोकन से स्पष्ट है। पैरा 5,14 में दिए गए आगे के विवरण से यह संकेत मिलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इसमें शामिल मुद्दा चूक के एक चरण तक नहीं पहुंचा है और उस संदर्भ में उसने सही माना है कि मध्यस्थता खंड का आह्वान करके कंपनी का दावा उचित है, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मध्यस्थता के संबंध में कुछ भी नहीं किया है और इसे इस न्यायालय पर छोड़ दिया है। तदनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पैरा 5.15 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि वे संतुष्ट नहीं हैं कि चूक हुई है। [पैरा 28] [136-एफ-एच; 137-ए]

1.9 एन. सी. एल. टी. इस बात से अवगत था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक निर्धारण किया जाना चाहिए कि क्या आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका पर विचार करते समय धारा 3 (12) के अर्थ के भीतर कोई चूक हुई है। एनसीएलटी इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष लंबित मध्यस्थता याचिका पर ध्यान दिया और तदनुसार कार्यवाही का समापन किया। [पैरा 29] [137-बी; 138-ए]

1.10 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष,

तत्काल मामले में एन. सी. एल. टी. को दोष नहीं दिया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को आवेदन के साथ संदर्भित किया जाता है। यह इंगित करता है कि क्यू. आई. पी. ओ. को देखते हुए ओ. सी. आर. पी. एस. के खिलाफ इक्विटी शेयरों का आवंटन अभी भी पक्षों के बीच चर्चा का विषय था और इसे डिफ़ॉल्ट कहने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। [पैरा 30] [138-बी-सी] [2021] 7 एस. सी. आर.

1.11 याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को संबोधित दिनांकित पत्र में। 4 , यह उस मौलिक मुद्दे के संबंध में उल्लेख किया गया था जिसे इक्विटी शेयरों में रूपांतरण और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि शुरू की गई वर्तमान प्रक्रिया इस तरह के रूपांतरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। प्रतिवादी सं. द्वारा याचिकाकर्ता को संबोधित दिनांकित 17.12.2018 का पत्र। 4 वास्तव में हिस्सेदारी को संदर्भित करता है

परिवर्तन और विवाद यह है कि क्या यह कंपनी की शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत होना चाहिए जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा 30 प्रतिशत की पेशकश की गई है जैसा कि के. आई. वी. एफ. द्वारा दावा किया गया है। यह मामले का वह पहलू है, जिसके बारे में अभी भी विवाद है वे पक्ष जिनके बारे में याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता की मांग की गई है जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा भी नोट किया गया था। [पैरा 31] [138-एफ-एच; 139-ए]

1.12 ऐसी स्थिति में, इस बिंदु पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि किसी भी भुगतान में चूक हुई थी। ऋण जब तक कि उक्त मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता है और इसके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि

याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी नं. 4 जारी किए जा रहे इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, यदि इस तरह की निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उस स्तर पर चूक होगी। इसलिए, यदि मामले को किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो न केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि इस समय आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका पर आदेश तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित है, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थ के गठन के लिए की गई प्रार्थना भी उचित है। न्यायाधिकरण, जैसा कि उनके द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में किया गया है, उचित है। [पैरा 32] [139-ए-डी]

1.13 उस परिस्थिति में हालांकि धारा के तहत दायर आवेदन दिनांकित 09.06.2020 के आदेश के परिचालन भाग में 8 अधिनियम, 1996 की अनुमति दी गई है और इसके परिणामस्वरूप आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका खारिज कर दी गई है।

तत्काल मामले की परिस्थितियों को इसके विपरीत माना जा सकता है। इसलिए, चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि कोई चूक नहीं है, इसलिए इस स्तर पर आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका को खारिज करना उचित है। हालांकि

अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन की अनुमति है, किसी भी स्थिति में यह याचिका इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v के विचार के अधीन होगी।

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर किया गया। [पैरा 33] [139-डी-एफ]

1.14 वर्तमान स्थिति में पक्षकारों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है और

पक्षों के बीच विवाद का समाधान उस तरह से नहीं किया जाता है क्योंकि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई है। में

पक्षकारों के लिए मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद के समाधान के लिए एकमात्र उपाय होने की स्थिति में, मध्यस्थता खंड के सार पर ध्यान देना और एक उपयुक्त न्यायाधिकरण का गठन करना उचित माना जाता है। [पैरा 34] [139-जी-एच; 140-सी-डी]

1.15 मध्यस्थता समझौते के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मध्यस्थता मुंबई में आयोजित की जाएगी और तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के उद्देश्य से के. आई. वी. एफ. I, के. ई. आई. टी. और के. आई. वी. एल. को संयुक्त रूप से एक मध्यस्थ और याचिकाकर्ता कंपनी के प्रवर्तकों को अपने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नियुक्त करना है। दूसरे समझौते में निवेशक के रूप में 'के. एम. आई. एल.' दूसरी तरफ है। तीसरे समझौते में

' निवेशक के रूप में 'किव्फी' दूसरी तरफ और चौथी तरफ है।

समझौते का वही खंड है जो पहले समझौते में है। इस प्रकार नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो अध्यक्ष होंगे। विभिन्न समझौतों में पाठ (सी) हालांकि के. आई. वी. में प्रत्येक इकाई को संदर्भित करता है और शेयरों में निवेश की गई राशि को संदर्भित किया जाता है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि के. एम. आई. एल., के. आई. वी. एफ. I, के. ई. आई. टी. और के. आई. वी. एल. द्वारा अभिदान किए गए इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों को सामूहिक रूप से 'वित्तीय निवेशक शेयरों' के रूप में संदर्भित किया जाता है। यदि उक्त पहलू को मुख्य रूप से तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के संबंध में शामिल मुद्दों की प्रकृति और उसके तहत काम किए जाने वाले सूत्र को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाता है, तो तत्काल तथ्यों में इस तरह के विचार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल किया जा सकता है जिसमें समान सदस्य होते हैं लेकिन प्रत्येक समझौते के संबंध में अलग से गठित किया जाता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह खुला रहेगा कि वह अलग से कार्यवाही आयोजित करने के लिए तौर-तरीकों पर काम करे

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए समझौते में कार्यवाही

और घरेलू विवादों को जोड़कर। [पैरा 36] [141-ई-एच; 142-ए-बी]

1.16 चूंकि याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने पत्र [2021] 7 एस. सी. के माध्यम से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. एन. खरे को नामित किया था।

मध्यस्थ को संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया माना जाता है

पैनी और प्रवर्तक। श्री न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा, भारत के न्यायाधीश के लिए नियुक्त किए गए हैं क्योंकि दूसरे मध्यस्थ के प्रतिवादी नामित करने में विफल रहे थे। उक्त मध्यस्थों एस

सहयोगी ने अध्यक्ष के रूप में एक तीसरे मध्यस्थ को नामित किया

त्राल ट्रिब्यूनल। [पैरा 37] [142-सी-डी]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और

एक और (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; स्विस

रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; बूज़

एलन और हैमिल्टन आईएनसी। बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड

और अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 532: [2011] 7 एससीआर 310; बूज़

एलन और हैमिल्टन बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य

(2011) 5 एससीसी 532: [2011] 7 एससीआर 310; A.Ayyasamy बनाम।

ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एससीसी 386: [2016]

11 एस. सी. आर. 521; अग्रणी शहरी भूमि और अवसंरचना

लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। [2019] 10 एससीआर 381;

मेसर्स ड्यूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम मेसर्स। गंगावरम बंदरगाह लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2011] 7 एससीआर 310

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

(2021) 2 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[2011] 7 एससीआर 310

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2016] 11 एससीआर 521

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2019] 3 एससीआर 535

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

[2019] 10 एससीआर 381

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पैरा 35 इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v. कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः मध्यस्थता याचिका (सिविल)

2019 की संख्या 48

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (4) (ए) और 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (3) के तहत याचिका

मध्यस्थ की नियुक्ति।

के साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 1070।

श्याम दीवान, मुकुल रोहतगी, रितिन राय, सी. ए. सुंदरम, सीनियर एड. , मोहित कपूर, सुश्री सनम त्रिपाठी, सुश्री अनुराधा अग्निहोत्री, सुश्री. राधिका गौतम, जफर इनायत, सुश्री गुंजन माथुर, सुश्री कृतिका भारद्वाज, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, डेरियस खंबाटा, आत्माराम एन. एस.

नाडकर्णी, नीरज किशन कौल, नकुल दीवान, इकबाल चागला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेसर्स के लिए अविष्कार सिंघवी, जतिन पोर, सुश्री अंकिता अग्रवाल, चंद्र प्रकाश। डी. एस. के. लीगल, विनीत मल्होत्रा, मोहित पॉल, अभिषेक श्रीनिवासन, विशाल गोहरी, एस. एस. रेबेलो, सुश्री सुनैना फुल, आदित्य दीवान, सुश्री उदिता सिंह, सोमेश चंद्र झा, सलीम एम. सैयद, प्रवीण चंद्र, राहुल नारंग, नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता, पवन जीत बिंद्रा, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री विशाखा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

1. विशेष अवकाश याचिका में दी गई छुट्टी।

2. मध्यस्थता याचिका 'इंडस बायोटेक प्राइवेट' द्वारा दायर की गई है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम, 1996) की धारा 11 (4) (ए) और 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (3) के तहत 'सीमित' प्रत्यर्थी की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करना। 1 4 ताकि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या के बीच उत्पन्न हुए विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जा सके। 1 यहाँ 4 तक। इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका इस तथ्य के कारण है कि प्रतिवादी संख्या 1 मॉरीशस स्थित कंपनी है और विवाद

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में योग्य है। उत्तरदाता संख्या 2 से 4 हालांकि भारतीय संस्थाएं हैं, वे उत्तरदाता संख्या 1 के सहयोगी उद्यम हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के अनुसार शामिल विषय एक ही है, हालांकि विभिन्न समझौतों के तहत, मध्यस्थता को एकल प्रक्रिया के रूप में, एकल मध्यस्थ न्यायाधिकरण

द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसलिए एक आम याचिका दायर की जाती है। इस न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के कारणों को विभाजित करने और [2021] 7 एस. सी. आर. का लाभ उठाने के बजाय।

उत्तरदाता संख्या 2 से 4 के साथ समान विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष उनका उपचार।

3. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की मांग करने वाली याचिका

यह शेयर सदस्यता और शेयरधारकों के समझौतों (संक्षेप में 'एस. एस. और एस. ए.') दिनांकित 20.07.2007,12.07.2007,09.01.2008 और दिनांकित 22.03.2013 और 19.07.2017 के पूरक समझौतों से निकलता है। उक्त समझौतों के माध्यम से प्रत्यर्थी सं। 1 4 ने इक्विटी की सदस्यता ली

कंपनी अर्थात इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में शेयर और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय रिडीमेबल वरीयता शेयर (संक्षेप में 'ओसीआरपीएस')। व्यवसाय की प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा एक योग्य प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (संक्षेप में 'क्यू. आई. पी. ओ.') बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) के विनियमन 5 (2), विनियम 2018 ('एस. ई. बी. आई.

विनियम (संक्षेप में), एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ या कोई अन्य अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जारीकर्ता के इक्विटी शेयर प्राप्त करने का विकल्प क्यू. आई. पी. ओ. बनाने का हकदार नहीं है।

4. इस दृष्टिकोण से, उत्तरदाता संख्या 1 से 4 के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे इंडस बायोटेक में निवेश किए गए अपने-अपने तरजीही शेयरों को परिवर्तित करें।

प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटी शेयरों में। उस संदर्भ में याचिकाकर्ता कंपनी

उत्तरदाता संख्या 1 से 4 द्वारा निवेशित ओ. सी. आर. पी. एस. को इक्विटी शेयरों में बदलने का प्रस्ताव है। बातचीत की उक्त प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता कंपनी और उत्तरदाता नं.

1 4 तक, उत्तरदाता संख्या 1 से 4 के वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने में लागू की जाने वाली गणना और रूपांतरण सूत्र के संबंध में। प्रत्यर्थी संख्या द्वारा लागू सूत्र के अनुसार। 1 4 तक, उनके द्वारा यह दावा किया गया था कि वे इक्विटी शेयरों में कुल चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता कंपनी ने लेखा परीक्षकों और मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि

उत्तरदाता संख्या 1 से 4 अपने रूपांतरण सूत्र के अनुसार उत्तरदाता द्वारा भुगतान की गई कुल चुकता शेयर पूंजी के लगभग 10 प्रतिशत के हकदार होंगे।

5. याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार विचाराधीन विवाद है

अपनाए जाने वाले उपयुक्त सूत्र के संबंध में और चुकता शेयर पूंजी के वास्तविक प्रतिशत पर पहुंचने के लिए जिसे इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद धनवापसी, यदि कोई हो। जब तक कोई सौहार्दपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक राशि चुकाने की कोई देनदारी नहीं है। इसलिए,

न तो कोई 'ऋण' या 'चूक' है और न ही याचिकाकर्ता कंपनी भुगतान करने में असमर्थ है। याचिकाकर्ता कंपनी एक लाभ कमाने वाली कंपनी है और इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड से जुड़ी हुई है।

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधि में। चूँकि पक्षों ने स्वयं समाधान नहीं किया था

इस मुद्दे पर, याचिकाकर्ता कंपनी का तर्क है कि उक्त विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना है।

6. उक्त मुद्दे पर, उत्तरदाता संख्या 1 से 4 हालांकि यह तर्क देंगे कि उत्तरदाता संख्या 1 से 4 का तथ्य ओ. सी. आर. पी. एस. की सदस्यता विवाद में नहीं है। ऐसी स्थिति में, उसी के मोचन पर, याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

उत्तरदाता संख्या 1 से 4 का तर्क है कि ओ. सी. आर. पी. एस. के मोचन पर, रु. 367,08,56,503 / - (तीन सौ साठ-सात करोड़ आठ लाख पचास-छह हजार पाँच सौ तीन) देय और देय हो गए। उत्तरदाता संख्या 1 से 4 ने उक्त राशि की मांग की थी और चूंकि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए यह है - तर्क दिया कि वही डिफ़ॉल्ट था। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि कंपनी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उसने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में 'आईबी कोड') के तहत प्रदान की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (संक्षेप में 'सीआईआरपी') शुरू करके न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उत्तरदाता संख्या 1 से 4 को कार्रवाई का कारण दिया था।

7. तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने आई. बी. सी. No.3077/2019 में एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका दायर की।

16.08.2019 समाधान पेशेवर की नियुक्ति की मांग करना। उक्त याचिका में, याचिकाकर्ता कंपनी ने अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक विविध आवेदन No.3597/2019 दायर किया, जिसमें पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें बताए गए कारणों के लिए जो ऊपर उल्लिखित है और मध्यस्थता याचिका में विवाद के समान है। प्रतिवादी सं. 2 ने यहाँ उक्त पर विचार करने पर आपत्ति जताई।

आवेदन।

8. एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ-IV ने अपने दिनांक 09.06.2020 के आदेश के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान दिया है और अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी है। परिणामस्वरूप, आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जाती है। एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांक 09.06.2020 के उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाला प्रतिवादी सं. 2 संबंधित एस. एल. पी. में इस न्यायालय के समक्ष है।

9. चूंकि उपरोक्त उल्लिखित में पक्षों की श्रेणी अलग-अलग है, इसलिए संदर्भ और स्पष्टता में आसानी के लिए दो याचिकाओं को उनके नाम से संदर्भित किया जाएगा और मध्यस्थता याचिका में उत्तरदाता संख्या 1 से 4 को सामूहिक रूप से 'कोटक इंडिया वेंचर' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कोटक इंडिया वेंचर की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ अन्य पक्षों की ओर से श्री खंभट्टा, श्री नीरज किशन कौल, श्री नकुल दीवान, श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने भी याचिका पर विचार किया। कागजात।

11. वास्तव में, एस. एस. और एस. ए. दिनांक 20.07.2007,12.07.2007 से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच किया गया लेनदेन,

12. उक्त स्थिति के बावजूद, इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका पर निष्कर्ष निकालने से पहले, परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका के संबंध में कोटक इंडिया वेंचर द्वारा उठाई गई आपत्ति और अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन का निपटारा करते हुए एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को भी ध्यान में रखते हुए; इस मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है क्योंकि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कोटक इंडिया वेंचर के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक आवेदन पर विचार करने में एन. सी. एल. टी. द्वारा की गई एक गंभीर त्रुटि के संबंध में तर्क दिया है, जो आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ने के लिए एन. सी. एल. टी. पर लगाए गए कानूनी कर्तव्य की पृष्ठभूमि में है। यह भी संतोषजनक है कि इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने चूक की है, इस घटना ने आई. बी. इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v की धारा 7 के तहत याचिका को सक्षम किया है।

संहिता लागू हो गई है और दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद जो विवाद उठाया जाना चाहिए वह मध्यस्थता योग्य नहीं है।

13. इस संबंध में दलीलों पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष अनुमति याचिका में दिनांकित आदेश के खिलाफ, सामान्य रूप से अगर पीड़ित है, तो कोटक इंडिया वेंचर को एन. सी. एल. ए. टी. में अपील दायर करके अपील के उपाय का लाभ उठाना चाहिए था जैसा कि आई. बी. संहिता की धारा 61 के तहत प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं करने के बाद, एक सामान्य परिस्थिति में हम अपील के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए कोटक इंडिया वेंचर को हटाने का विकल्प चुनते। कोटक इंडिया वेंचर की ओर से यह तर्क कि उनके पास अपील का उपाय नहीं है क्योंकि यह अधिनियम, 1996 के तहत दायर एक आवेदन का निपटारा करने वाला एक आदेश है और आई. बी. संहिता की धारा 61 में दिए गए भाग के तहत एक आदेश नहीं है, केवल खारिज किए जाने के लिए नोट किया गया है। दिनांकित 09.06.2020 का आदेश निश्चित रूप से आई. बी. संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश है और आई. बी. की धारा 7 के तहत याचिका है। उस संहिता का भी निपटारा किया जाता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर दिए गए कथन से पता चलता है, एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका पर ध्यान देते हुए, इंडस बायोटेक की मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान की मांग की पृष्ठभूमि में है और उस प्रभाव की मध्यस्थता याचिका पहले से ही इस अदालत के समक्ष लंबित थी क्योंकि उस तारीख को एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश पारित किया गया था। यह केवल इस विशेष परिस्थिति में है कि हम याचिका पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं।

14. आक्षेपित आदेश की शुद्धता या अन्यथा पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, शुरू में हमारे लिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है

आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही का दायरा जिसके लिए

धारा 3 (6) में परिभाषाओं के संदर्भ में विस्तृत संदर्भ दिया गया है,

3 (8) , 3 (11) , 3 (12) और संहिता के 5 (7)। यह वित्तीय लेनदार के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन शुरू करने के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान करता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक 'निगमित देनदार' के खिलाफ समाधान प्रक्रिया जब 'चूक' हुई हो। इसलिए, प्रावधान में विचार किया गया है कि एक आवेदन को सक्रिय करने के लिए चार कारक मौजूद होने चाहिएः (i) एक 'ऋण' होना चाहिए (ii) 'व्यतिक्रम' होना चाहिए (iii) ऋण 'वित्तीय लेनदार' के कारण होना चाहिए और (iv) ऐसा व्यतिक्रम जो हुआ है वह एक 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा होना चाहिएः आई. बी. संहिता की धारा 7 की उप-धारा (1) से (3) के तहत आवश्यक अनुपालन के साथ ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, न्यायिक प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि वह रिकॉर्ड से दिखाए जाने पर या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाए, जैसा कि आई. बी. संहिता की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत विचार किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इस न्यायालय के पास व्यापक रूप से विचार करने का अवसर था

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 407 के मामले में आई. बी. संहिता का कार्यान्वयन। द.

आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत संशोधन और इसका दायरा है -

पैरा 27 से 30 में लिखा गया है जो यहाँ नीचे पढ़ा गया है,

" 27. कोड की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब एक डिफ़ॉल्ट यह इस अर्थ में होता है कि ऋण देय हो जाता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है,

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। डिफ़ॉल्ट में परिभाषित किया गया है

धारा 3 (12) बहुत व्यापक शब्दों में जिसका अर्थ है भुगतान न करना एक बार देय और देय होने के बाद ऋण, जिसमें गैर-देय ऋण भी शामिल है।

इसके सम भाग या किश्त राशि का भुगतान। "ऋण" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (11) पर जाना होगा, जो बदले में हमें बताती है कि ऋण का अर्थ किसी ऋण के संबंध में दायित्व का दायित्व है।

" दावा "और" दावा "के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (6) पर वापस जाना होगा जो" दावा "को भुगतान के अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। भले ही यह विवादित हो। कोड उस समय चालू हो जाता है जब डिफ़ॉल्ट एक लाख रुपये या उससे अधिक का होता है (धारा 4)। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया स्वयं निगमित देनदार या वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार द्वारा शुरू की जा सकती है। एक अंतर बनाया जाता है

वित्तीय लेनदारों को देय ऋणों के बीच संहिता द्वारा और

वित्तीय ऋण को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक ऐसा ऋण जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है। इसके विपरीत, एक परिचालन लेनदार का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे एक परिचालन ऋण बकाया है और धारा 5 (21) के तहत एक परिचालन ऋण का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा। 28. जब प्रक्रिया को गति देने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है,

धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। खंड के स्पष्टीकरण के तहत

7 (1) , एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है-यह बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है

आवेदक वित्तीय लेनदार। धारा 7 (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन किया जाना है जो

निर्धारित, जो हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है

(न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016। नियम 4 के तहत, आवेदन फॉर्म 1 में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है।

उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ। प्रपत्र 1 5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग I में आवेदक का विवरण, भाग II में निगमित देनदार का विवरण, डस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v. की आवश्यकता होती है।

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) यू. एन. डी. (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

भाग III में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और दस्तावेज, भाग 5 में चूक के अभिलेख और साक्ष्य नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को इसके साथ दायर आवेदन की एक प्रति भेजनी है -

निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या गति डाक द्वारा प्राधिकरण का निर्णय लेना। वह गति, जिसके भीतर निर्णय देने वाला प्राधिकारी एक चूक के अस्तित्व का पता लगाना है सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना है कि एक चूक हुई है, कि कॉर्पोरेट देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई चूक हुई है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस दे सकता है। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो।

29. धारा 7 की योजना धारा 8 के तहत योजना के विपरीत है जहां एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, संहिता की धारा 8 (1) में प्रदान किए गए तरीके से परिचालन देनदार को अवैतनिक ऋण की मांग सूचना देने के लिए है। धारा 8 (2) के तहत, निगमित देनदार कर सकता है मांग सूचना की प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि या उप-धारा (1) में उल्लिखित चालान की प्रति, परिचालन लेनदार के ध्यान में किसी विवाद के अस्तित्व या किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने के रिकॉर्ड को लाती है, जो पूर्ववर्ती है।

विद्यमान - अर्थात। निगमित देनदार द्वारा इस तरह की सूचना या चालान प्राप्त होने से पहले। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है, परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर हो जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक कॉर्पोरेट देनदार के मामले में जो वित्तीय ऋण का चूक करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल [2021] 7 एस. सी. आर. को संतुष्ट करने के लिए वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता या अन्य साक्ष्य के रिकॉर्ड देखने होते हैं।

स्वयं कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ज

विवादित तब तक जब तक ऋण "देय" है अर्थात जब तक भुगतान नहीं किया जाता है

किसी कानून द्वारा या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह है

भविष्य की किसी तारीख को देय। यह केवल तभी साबित होता है जब

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि कि

प्राधिकरण किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और अन्यथा नहीं।

(जोर दिया गया)

16. डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए

इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सामने रखा गया तर्क इस बात पर जोर देना चाहता है कि आईबी कोड की धारा 7 के तहत एक कार्यवाही होनी चाहिए

कठोर तरीके से माना जाता है। आई. बी. संहिता की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि दीवानी मुकदमा, याचिका को समाप्त करने, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की कार्यवाही और एस. आई. सी. ए. जैसी सभी पिछली प्रक्रियाओं के वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने के बाद यह विकसित हुआ है। आई. बी. संहिता के तहत प्रावधान एक देनदार को लेनदार की तलाश करने के इरादे से है। इस संबंध में डॉ. सिंघवी ने स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17 और बूज़ एलन और हैमिल्टन आई. एन. सी. के मामले में निर्णयों का उल्लेख किया है। बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 532 का तर्क है कि आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही आर. ई. एम. में एक कार्रवाई है। इस प्रकार दिवालिया होने और मामलों को समाप्त करने के मामले गैर-मध्यस्थ हैं। उस पृष्ठभूमि में, एसएस और एसए के तहत लेनदेन की प्रकृति का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में यह तर्क दिया गया है कि समझौते में इस तरह का प्रावधान है - मोचन के साथ-साथ मोचन मूल्य भी। छुटकारे की तारीख 31.12.2018 के रूप में तय की गई है। ओ. सी. आर. पी. एस. जब भुनाया जाता है तो मोचन की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय होता है। ऐसी स्थिति में, कोई अन्य मुद्दा नहीं है जिसके लिए मध्यस्थता द्वारा समाधान की आवश्यकता हो। इसके अलावा, समझौते की अनुसूची जे में खंड 5.1 और 5.2 में यह तर्क दिया गया है कि मोचन मूल्य कंपनी द्वारा धारक पर बकाया ऋण का गठन करेगा। इसलिए ऋण चुकाने की तारीख पर ऋण राशि, यदि चुकौती के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह चूक मानी जाती है। उस पृष्ठभूमि में, जब आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका दायर की गई थी, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल उस पहलू पर ध्यान देना चाहिए था और अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन पर विचार करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

17. विचार की गई प्रक्रिया से संकेत मिलेगा कि इससे पहले

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि क्या चूक हुई है

या नहीं, वित्तीय लेनदार द्वारा रखी गई सामग्री के अलावा, इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v.

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

निगमित देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि चूक नहीं हुई है और यह कि ऋण देय नहीं है, परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक को संतुष्ट करने के लिए

प्राधिकरण कि कोई चूक नहीं है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी कवायद में यदि यह पाया जाता है कि चूक हुई है, तो आई. बी. संहिता की धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत विचार की गई प्रक्रिया -

जैसा कि उप-धारा 5 (ए) के तहत प्रदान किया गया है; या यदि कोई चूक नहीं है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार कर देगा जैसा कि उप-धारा के तहत प्रदान किया गया है। आई. बी. संहिता की धारा 5 (बी) से धारा 7 तक। उस परिस्थिति में यदि चूक का निष्कर्ष दर्ज किया जाता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है

आवेदन में, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा (6) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार शुरू होती है और इसे आगे संसाधित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में, यह प्रवेश की तारीख को एक कार्यवाही बन जाती है और उस समय से मामला मध्यस्थ नहीं होगा। इसके बाद पालन किया जाने वाला एकमात्र पाठ्यक्रम आईबी कोड के तहत समाधान प्रक्रिया है। इसलिए, प्रेरक बिंदु आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करना नहीं है, बल्कि निर्धारित करने पर उसे स्वीकार करना है।

डिफ़ॉल्ट। 18. उस परिस्थिति में, हालाँकि डॉ. सिंघवी ने आई. बी. संहिता के विकास का उल्लेख किया है, क्योंकि पहले की सभी कानूनी प्रक्रियाएँ यह बताने में विफल रही थीं कि

लेनदार के लिए उचित स्थान; जिसे आई. बी. संहिता द्वारा प्राप्त करने की मांग की जाती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. बी. संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया से इसका मतलब यह है कि लेनदार का दावा यदि एन. सी. एल. टी. के समक्ष किया जाता है, विशेष रूप से आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत, तो यह पवित्र है और निगमित देनदार को अपने संस्करण या विवाद को सामने रखने से वंचित किया जाता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह दिखाने के लिए कि चूक नहीं हुई है और ऐसा तर्क देने के लिए परिस्थिति की व्याख्या करना। वास्तव में, इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दोनों पक्षों द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों के दायरे पर विचार करते हुए और आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका में विचार की गई प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, जिसे ऊपर भी निकाला गया है, इस प्रकार हैः -

" यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना है कि चूक हुई है, कि निगमित

ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि 'ऋण', जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। एक ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून में देय नहीं है या

तथ्य।

"[2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. तत्काल मामले में, डॉ. सिंघवी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ने अनुबंध के लिए अनुसूची जे में निहित खंड 5.1 और 5.2 का उल्लेख किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि ओ. सी. आर. पी. एस. मोचन तिथि से 15 दिनों के भीतर देय हो जाएगा और पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि यह कंपनी द्वारा धारक को बकाया ऋण का गठन करेगा। सवाल यह होगा कि क्या केवल यही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त था कि वर्तमान प्रकृति की तथ्य स्थिति में भी चूक थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओ. सी. आर. पी. एस. की मूल अवधि 31.12.2018 तक थी, जिस तारीख को यह था।

वापस लिया जा सकता है। उस पृष्ठभूमि में, श्री श्याम दीवान, इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है

उसी दस्तावेज़ का खंड 4 और 6 यह इंगित करने के लिए है कि यह उसमें बताई गई परिस्थितियों में शीघ्र मोचन का प्रावधान करता है। इसके खंड 6 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि ओ. सी. आर. पी. एस. को उसमें प्रदान की गई परिस्थितियों में कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि क्यू. आई. पी. ओ. या रणनीतिक बिक्री की घटना पर भी है, बशर्ते कि ओ. सी. आर. पी. एस. को संकेतित तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। एस. ई. बी. आई.-आई. सी. डी. आर. विनियमों के विनियम 5 (2) ने इसे अनिवार्य कर दिया। इस संबंध में, श्री दीवान ने आई. डी. 1 पर आयोजित बोर्ड की बैठक का भी उल्लेख किया है जिसमें क्यू. आई. पी. ओ. से संबंधित मामलों पर विचार किया गया था और तरजीही शेयरों के रूपांतरण पर चर्चा की गई थी, जिस पर नामित निदेशक ने विचार किया था।

कोटक इंडिया वेंचर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली भी एक पार्टी थी। उक्त मुद्दे पर बाद की बैठक दिनांक 06.04.2018 और 10.04.2018 में भी चर्चा की गई थी। इसलिए, उक्त घटनाएं प्रथम दृष्टया इंगित करती हैं कि ओ. सी. आर. पी. एस. को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया और आवंटन

20. इसलिए, वास्तव में वर्तमान प्रकृति की स्थिति में जब धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कुछ कदम उठाए गए थे उस निर्देश पर, भले ही मोचन की तारीख को ध्यान में रखा जाए और अनुसूची जे के खंड में यह संकेत दिया गया हो कि मोचन मूल्य बकाया ऋण का गठन करेगा, ध्यान दिया जाता है; जब पक्षों के बीच कुछ लेनदेन पर चर्चा की गई थी और इस बिंदु के बाद से यह निष्कर्ष नहीं निकला था कि क्या यह कंपनी में इक्विटी शेयरों का 30 प्रतिशत था या उचित सूत्र लागू करके 10 प्रतिशत था, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था।

सहमत या असहमत होने पर, यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होता कि चूक हुई है और याचिका को केवल इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि मूल रूप से सहमत तिथि के अनुसार कोटक वेंचर द्वारा दावा किया गया था और एक याचिका दायर की गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विचार की प्रक्रिया में इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v.

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विशेष मामले के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या कोई चूक हुई है, भले ही उस अवधि के सख्त अर्थों में कोई ऋण हो, जो वर्तमान में लागू होता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा मामला किया गया है।

21. ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि स्थिति अभी तक इसे चूक कहने के लिए तैयार नहीं है, वह भी यदि वह संतुष्ट है कि यह लाभ कमाने वाली कंपनी है और कुछ अन्य कारक जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में उचित आदेश दिए जाएंगे; जिसका परिणाम निगमित देनदार के रुख पर ध्यान देने पर आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका को खारिज करना हो सकता है। मानो अन्यथा अगर हर मामले में जहां ऋण है, यदि चूक भी मान ली जाती है और प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है, तो एक कंपनी जो अपना प्रशासन कुशलता से चला रही है और

हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि जब यह दिखाया जाता है कि ऋण देय है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को चूक दर्ज करनी चाहिए और याचिका को स्वीकार करना चाहिए। उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में भी निगमित ऋणी के हित को खतरे में नहीं डाला जाता है क्योंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रवेश आदेश एन. सी. एल. ए. टी. और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य हैं जहां किसी भी मामले में आदेश की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा। हम ध्यान देते हैं कि यह विवाद में नहीं हो सकता है कि ऐसा मामला होगा, भले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का विचार हो कि याचिका पर विचार करने के लिए परिपक्व नहीं है या याचिका को स्वीकार करने के लिए सभी सामग्री, विशेष रूप से डिफ़ॉल्ट, का गठन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा आदेश भी

एन. सी. एल. ए. टी. और उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य रहेगा जहां उस संबंध में शुद्धता की भी जांच की जाएगी। 22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में सवाल यह होगा कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश के दौरान यह निरीक्षण करके कि इस तरह के मामले में मध्यस्थता का आह्वान उचित प्रतीत होता है, कोटक उद्यम की ओर से तर्कित एक गंभीर त्रुटि की गई है। हमारे विचार में, कार्यवाही का वह चरण प्रासंगिक होगा जिस पर उक्त अवलोकन किया गया था। यदि मामला आर. ई. एम. में कार्यवाही की स्थिति तक पहुँच गया है, तो इस तरह का अवलोकन उचित नहीं होगा और [2021] 7 एस. सी. आर.

अक्षम लेकिन अन्यथा नहीं। तत्काल मामले में, याचिका को अभी तक कम नहीं किया गया था और इसलिए कार्यवाही का दर्जा नहीं लिया गया था

एन.

23. यह निर्धारित करने के लिए लागू किए जाने वाले परीक्षण कि विषय कब मध्यस्थता योग्य नहीं है और इस तरह के परीक्षण को लागू करने पर, आरईएम में कार्रवाई सक्षम नहीं है, इस न्यायालय द्वारा विद्या द्रोलिया और आरएस बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (2021 2 एससीसी 1) के मामले में निर्धारित किया गया है जो कहता हैपुनर्व्यवस्थित करनाः

" 76. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्धारित करने के लिए चार गुना परीक्षण का प्रस्ताव करना चाहेंगे कि विवाद का विषय कब है।

एक मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता नहीं हैः

76.1 (1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय वस्तु आरईएम में कार्रवाई से संबंधित है, जो अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित नहीं है

व्यक्ति में जो रेम में अधिकारों से उत्पन्न होता है।

76.2 (2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है; एर्गा ऑम्नेस प्रभाव होता है; आवश्यकता होती है केंद्रीकृत निर्णय और आपसी निर्णय नहीं होगा

उचित और लागू करने योग्य; 76.3 (3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित हो और इसलिए आपसी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा;

और

76.5 (5) ये परीक्षण जलरोधी डिब्बे नहीं हैं; वे डोवेटेल और ओवरलैप होते हैं, हालांकि जब इन्हें समग्र और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है। निर्धारित करने और पता लगाने में मदद और सहायता करेगा

निश्चितता की डिग्री जब भारत में कानून के अनुसार, कोई विवाद या विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है। केवल तभी जब उत्तर सकारात्मक हो कि विवाद का विषय गैर-मध्यस्थ होगा।

76.6 . हालाँकि, ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) में देखे गए उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

लिमिटेड [ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड v. मीना विजय खेतान,

(1999) 5 एससीसी 651]: (एस. सी. सी पी. 669, पैरा 35)

डस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v. कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) यू. एन. डी. (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

" 35 ..... सार्वजनिक प्रकृति के आपराधिक अपराधों, अवैध रूप से उत्पन्न होने वाले विवादों जैसे कुछ विवादों के लिए वहां संदर्भ दिया जाता है।

स्थिति से संबंधित समझौते और विवाद, जैसे कि तलाक, जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले, जैसे शारीरिक चोट से संबंधित तथ्यों के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाने का अधिकार है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

(कीर वी। लीमैन [कीर बनाम। लीमन, (1846) 9 क्यू. बी. 371: 115 ईआर 1315])। इसी तरह, यह माना गया है कि एक पति और एक पत्नी

वे उन शर्तों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं जिन पर वे अलग होंगे, क्योंकि वे अपने बीच एक वैध समझौता कर सकते हैं

उस मामले में।

जो अधिक कुशल होगा और जिसका पूरा अधिकार क्षेत्र होगा पूरे मामले का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटारा करें। वे भी रेम में क्रियाएँ हैं। इसी तरह, पेटेंट का अनुदान और जारी करना और ट्रेडमार्क का पंजीकरण संप्रभु या सरकारी कार्यों के भीतर आने वाले अनन्य मामले हैं और इनका सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। इस तरह के अनुदान एकाधिकार अधिकार प्रदान करते हैं। वे गैर-मध्यस्थ हैं। आपराधिक मामले

फिर से मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि वे संप्रभु कार्यों से संबंधित हैं

विवाह के विघटन, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि से संबंधित मामले मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि वे संप्रभु कार्यों के दायरे में आते हैं और इनका कोई वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य नहीं है। निर्णयों का सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। प्रोबेट, वसीयतनामा, आदि से संबंधित मामले संदर्भ में कार्य हैं और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक घोषणा हैं और इसलिए गैर-मध्यस्थ हैं। " विद्या द्रोलिया में किए गए व्यापक विचार को ध्यान में रखते हुए और

यह समझना कि एक विवाद गैर-मध्यस्थ होगा जब एक

बुद्धिमान हैं। निर्णय कोटक इंडिया वेंचर की ओर से बूज़, एलन और हैमिल्टन बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य 1) 5 एस. सी. सी. 532 और ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम और अन्य की ओर से लिए गए।5) 10 एस. सी. सी. 386 को विस्तार से संदर्भित करने और इस [2021] 7 एस. सी. आर. पर अधिक बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णय क्योंकि उन्हें विद्या द्रोलिया में संदर्भित किया गया है जो भी उसी स्थिति की व्याख्या करता है।

24. स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17 और पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। (डब्ल्यू. पी. (सी) No.43/2019) कोटक वेंचर की ओर से आईबी कोड के पूरे दायरे और दायरे पर विचार किया गया और प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया। उक्त निर्णयों पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा किया गया है कि जब आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका शुरू की जाती है तो यह आर. ई. एम. में एक कार्यवाही बन जाती है और यहां तक कि प्रक्रिया शुरू करने वाले लेनदार भी कार्यवाही पर नियंत्रण खो देंगे क्योंकि आई. बी. संहिता के तहत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। स्विस रिबन (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) के मामले में भी विस्तार से संदर्भित किया गया था, जिसमें टिप्पणियों को पैरा 39 में शामिल किया गया था।

अचल संपत्ति विकास निर्धारित किया गया था। जिस प्रासंगिक भाग का उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार हैः

" इस प्रकार, कोई भी आवंटी/घर खरीदार जो संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन को पसंद करता है, वह डेवलपर्स की ओर से उल्लंघन होने की स्थिति में निकट भविष्य में अपने फ्लैट/अपार्टमेंट के पूरा नहीं होने का जोखिम उठाता है। संहिता के तहत, उसे कभी भी पूरे मूलधन की वापसी नहीं मिल सकती है, ब्याज की तो बात ही छोड़िए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, जिस क्षण धारा 7 के तहत एक याचिका स्वीकार की जाती है, समाधान पेशेवर को पहले किसी के लिए विज्ञापन देना चाहिए और समाधान योजना खोजना चाहिए, आमतौर पर किसी अन्य विकासकर्ता के लिए जिसे तब संहिता के तहत पास मस्टर, यानी कि इसे कम से कम 66 प्रतिशत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और नए प्रबंधन को संभालने और या तो निर्माण पूरा करने से पहले एनसीएलटी और एनसीएलएटी के सामने चुनौतियों से गुजरना चाहिए।

रिफंड राशि का भुगतान करें "।

अतः उपरोक्त सभी में अंतर्निहित सिद्धांत का उल्लेख किया गया है।

निर्णय यह है कि आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका को आर. ई. एम. में एक कार्यवाही के रूप में विचार करने के लिए, यह है

यह आवश्यक था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अपना दिमाग लगाना चाहिए था, चूक का निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था और याचिका को स्वीकार करना चाहिए था। प्रवेश पर, कॉर्पोरेट देनदारियों के सभी लेनदारों में तीसरे पक्ष का अधिकार बनाया जाता है और इसका सर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसलिए, केवल याचिका दायर करने और प्रवेश से पहले इसकी विचाराधीनता को इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

आई. बी. संहिता की धारा 238 के तहत प्रदान किए गए अन्य कानूनों को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उस दृष्टिकोण से, इस तथ्य के बावजूद कि कथित निगमित देनदार ने अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया था, उसी का स्वतंत्र विचार आईबी कोड की धारा 7 के तहत दायर आवेदन और उसके साथ प्रस्तुत सामग्री उत्पन्न नहीं होगी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण वित्तीय लेनदार द्वारा आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई सामग्री का विज्ञापन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि निगमित देनदार के संस्करण के साथ चूक का संकेत दिया जा सके। इसका कारण यह है कि आई. बी. संहिता के तहत कार्यवाही के दायरे को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने के लिए एक समय सीमा होने के कारण, इस प्रक्रिया को केवल प्रक्रिया में देरी करने के लिए मूनशाइन डिफेंस को बढ़ाकर एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। उस में

यह देखते हुए कि भले ही अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत कोई आवेदन दायर किया गया हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन पर रखी गई दलीलों का विज्ञापन करे, वित्तीय लेनदार द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच करे और इस बारे में संतुष्टि दर्ज करे कि क्या चूक हुई है या नहीं। ऐसा करते समय निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत तर्क को यह निर्धारित करने के लिए भी नोट किया जाएगा कि क्या बचाव में कोई सार है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या कोई चूक है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अप्रतिरोध्य निष्कर्ष

यह है कि चूक है और ऋण देय है, प्रक्रिया में देरी करने के लिए मध्यस्थता का बोगी इस स्थिति के बावजूद उत्पन्न नहीं होगा कि पक्षों के बीच समझौते में निर्विवाद रूप से एक मध्यस्थता खंड शामिल है।

26. इसके अलावा यदि निष्कर्ष यह है कि चूक है और ऋण देय है, जिसके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आगे बढ़ता है

आवेदन को स्वीकार करने के लिए आई. बी. संहिता की धारा 7 की उप-धारा 5 (ए) के तहत विचार किए गए आदेश को पारित करने के बाद कार्यवाही को स्वयं [2021] 7 एस. सी. आर. मिल जाएगा।

के कारण एर्गा ऑम्नेस प्रभाव वाले रेम में एक कार्यवाही में परिवर्तित

जिसे तथाकथित अंतर-विवाद की मध्यस्थता का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किए गए इस तरह के विचार पर यदि संतोष दर्ज किया जाता है कि कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं की गई है, तो याचिका खारिज हो जाएगी जैसा कि आईबी संहिता की धारा 7 की उप-धारा 5 (बी) के तहत प्रदान किया गया है, जो पक्षों के लिए उचित कार्यवाही में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्र को खुला छोड़ देगा जैसा कि कानून में विचार किया गया है और एनसीएलटी को ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत उत्पन्न नहीं होगा। 27. इसलिए, प्रक्रिया को सारांशित करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कार्यवाही में जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है

आई. बी. संहिता की धारा 7, यदि ऐसी याचिका न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर स्वीकार की जाती है, जिसमें चूक और निगमित देनदार से देय ऋण के संबंध में संतुष्टि दर्ज की जाती है, तो उसके बाद अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत किया गया कोई भी आवेदन विचारणीय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जहां आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका अभी तक स्वीकार नहीं की गई है और ऐसी कार्यवाहियों में, यदि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह पहले आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर निर्णय ले और उसमें चूक होने या न होने के संबंध में संतुष्टि दर्ज करे, भले ही अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन को विचार के लिए रखा गया हो। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक

आई. बी. संहिता आवेदन की धारा 7 पर उसमें किए गए विचार का परिणाम अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन पर पड़ेगा। 28. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस मामले में तथ्य की स्थिति पर लौटने पर, 09.06.2020 दिनांकित आदेश का अवलोकन इंगित करेगा कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. ने हालांकि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को प्रमुख विचार के रूप में लिया है, आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत दायर याचिका को भी साथ लिया गया है और उक्त आदेश में विचार का एक हिस्सा बनाया गया है। आदेश के आगे के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत था कि उसके समक्ष मामले पर आगे कोई विचार केवल तभी उत्पन्न होगा जब चूक होती है और ऋण देय होता है। यह आदेश के पैरा 5.13 में निहित अवलोकन से स्पष्ट है। पैरा 5.14 में दिए गए आगे के कथन से यह संकेत मिलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इसमें शामिल मुद्दा चूक के एक चरण तक नहीं पहुंचा है और उस संदर्भ में उचित रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थता का आह्वान करके कंपनी का दावा इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v.

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

उपयोग उचित है लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने मध्यस्थता के संबंध में कुछ भी सही नहीं किया है और इसे इस न्यायालय पर छोड़ दिया है। तदनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पैरा 5.15 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि वे संतुष्ट नहीं हैं कि चूक हुई है।

29. दर्ज किए गए प्रासंगिक निष्कर्षों को निकालना उचित होगा।

एन. सी. एल. टी. जो दर्शाता है कि एन. सी. एल. टी. सचेत था कि वहाँ

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायिक निर्धारण किया जाना चाहिए कि -

क्या धारा 3 (12) के अर्थ में कोई चूक हुई है।

आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका पर विचार करना। प्रासंगिक ऊपर दिए गए नोट को नीचे पढ़ा जा सकता हैः -

" 5.13 इसलिए, एक धारा 7 याचिका में, एक न्यायिक याचिका होनी चाहिए।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस बारे में निर्धारण कि क्या

धारा 3 (12) के अर्थ के भीतर एक 'डिफ़ॉल्ट' रहा है आईबीसी।

5.14 वर्तमान मामले में विवाद तीन चीजों पर केंद्रित है।

(1) प्रत्यर्थी/वित्तीय लेनदार के ओ. सी. आर. पी. एस. का मूल्यांकन;

(2) प्रत्यर्थी/वित्तीय लेनदार का इस तरह का लाभ उठाने का अधिकार ओ. सी. आर. पी. एस. ने जब इसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया में भाग लिया था

आवेदक/निगमित देनदार के इक्विटी शेयरों में ओ. सी. आर. पी. एस.; और (3) क्यू. आई. पी. ओ. की तारीख तय करना। ये सभी महत्वपूर्ण हैं।

हुआ। इस तरह के मामले में मध्यस्थता का आह्वान प्रतीत होता है उचित ठहराएँ।

5.15 उठाए गए विवाद को देखते हुए, और यह कि तथ्य इसमें नहीं हैं

अनावश्यक रूप से एक अन्यथा विलायक, ऋण-मुक्त कंपनी को अंदर धकेलें दिवाला, जो इस स्तर पर बहुत वांछनीय परिणाम नहीं है। द.

विवाद जो अंतर्निहित कंपनी की विषय वस्तु बनाते हैं

याचिका, अर्थात। , शेयरों का मूल्यांकन, गणना और रूपांतरण सूत्र और क्यू. आई. पी. ओ. की तारीख तय करना सभी मनमाने हैं, क्योंकि उनमें शामिल हैं

शेयरों का मूल्यांकन और क्यू. आई. पी. ओ. की तारीख तय करना। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि अंतर को मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए

पक्षों और उनकी संबंधित धारणाओं के बीच। इसके अलावा, नहीं।

आवेदक को धक्का देकर सार्थक उद्देश्य पूरा किया जाएगा /

इस स्तर पर सी. आई. आर. पी. में निगमित देनदार।

(जोर दिया गया)

कार्यवाही का समापन किया। 30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि तत्काल मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. द्वारा किए गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है यदि एक आवेदन के साथ इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संदर्भ दिया जाता है और श्री श्याम दीवान द्वारा संदर्भित किया जाता है। यह इंगित करता है कि क्यू. आई. पी. ओ. को देखते हुए ओ. सी. आर. पी. एस. के खिलाफ इक्विटी शेयरों का आवंटन अभी भी पक्षों के बीच चर्चा का विषय था और इसे डिफ़ॉल्ट कहने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। यह मुद्दा निदेशक मंडल की 121 वीं बैठक में शुरू किया गया था जिसमें कोटक इंडिया वेंचर फंड का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक भी शामिल थे।

6 (सी)। चर्चा और निर्णय कि बकाया तरजीही शेयरों का रूपांतरण शेयरधारक समझौते के प्रावधानों के अनुसार बोनस शेयर जारी करने के बाद होगा, दर्ज किया गया था। निदेशक मंडल की 122 वीं बैठक में, जिसमें कोटक इंडिया वेंचर का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-कार्यकारी निदेशक और नामित निदेशक भी उपस्थित थे, मद संख्या 7 में इस मुद्दे पर विचार किया गया। यह संकल्प लिया गया कि बोर्ड ने प्रस्ताव के ऐसे प्रतिशत के आवंटन को मंजूरी दे दी है जो बोर्ड द्वारा किसी भी श्रेणी के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, हालांकि दिनांक 10.04.2018 की असाधारण आम सभा की बैठक में, कोटक इंडिया वेंचर के प्रतिनिधि निदेशकों ने प्राप्त किया था

अनुपस्थिति की अनुमति, उक्त बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव ने संकेत दिया था कि बोनस इक्विटी शेयरों के रूप में जारी और आवंटित किए जाने वाले कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होंगेः संगठन का ज्ञापन और कंपनी के संगठन के लेख। कंपनी सचिव को उस संबंध में ऐसे सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था।

31. इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोटक इंडिया वेंचर को संबोधित दिनांकित 21.11.2018 पत्र में, उस मौलिक मुद्दे के संबंध में उल्लेख किया गया था जिसे इक्विटी शेयरों में रूपांतरण और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि शुरू की गई वर्तमान प्रक्रिया इस तरह के रूपांतरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। तारीख वाला पत्र

17.12.2018 कोटक इंडिया वेंचर द्वारा इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित वास्तव में रूपांतरण में हिस्सेदारी और विवाद को संदर्भित करता है कि क्या यह कंपनी की शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत होना चाहिए। इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड या 30 प्रतिशत के रूप में कोटक इंडिया वेंचर फंड द्वारा दावा किया गया। यह मामले का वह पहलू है, जिसके बारे में अभी भी पक्षकारों के बीच विवाद होने का तर्क दिया जाता है, जिसके बारे में इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v.

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

मध्यस्थता की मांग इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा भी नोट किया गया था। हम विवाद से संबंधित प्रतिद्वंद्वी विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। 32. ऐसी स्थिति में, हमारी राय में, इस बिंदु पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि किसी भी भुगतान में चूक हुई थी।

ऋण जब तक कि उक्त मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता और सिंधु द्वारा चुकाई जाने वाली राशि

जारी किए जा रहे इक्विटी शेयरों के संदर्भ में बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से लेकर कोटक इंडिया वेंचर तक का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में, यदि इस तरह की निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उस स्तर पर चूक होगी। इसलिए, यदि मामले को किसी भी कोण से देखा जाता है, तो न केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि इस समय आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका पर आदेश तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित है, बल्कि इंडस बायोटेक प्राइवेट द्वारा की गई प्रार्थना भी उचित है।

इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत उनके द्वारा दायर याचिका में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए सीमित किया गया है।

33. उस परिस्थिति में हालांकि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी गई है और इसके परिणामस्वरूप आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका खारिज कर दी गई है; वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसका उल्टा अर्थ लगाया जा सकता है। इसलिए, चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष यह है कि कोई चूक नहीं है, इसलिए

इस स्तर पर आई. बी. संहिता की धारा 7 के तहत याचिका उचित है। हालाँकि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत आवेदन की अनुमति है, लेकिन यह किसी भी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर विचार के अधीन होगा। तरजीही शेयरों में निवेश के भुगतान को वित्तीय माना जा सकता है या नहीं, इस पर विवाद

लिखित प्रस्तुतियों में ऋण उठाया गया था। हालाँकि, हमने उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश का आधार नहीं था। 34. चूंकि हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, इसलिए अगला पहलू मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति से संबंधित है जैसा कि याचिका में कहा गया है। अनिवार्य रूप से जिस मुख्य विवाद का आग्रह किया गया है, वह एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही के संबंध में है और इसलिए, विवाद मध्यस्थ नहीं है। हालाँकि, वर्तमान स्थिति में पक्षों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है और पक्षों के बीच विवाद को उस तरह से हल नहीं किया जाता है क्योंकि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो गई है। श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील [2021] 7 एस. सी. आर.

इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया है कि लेन-देन

पक्षों के बीच एक आम बात है और इस तरह यह प्रभावी होगा यदि विवाद को एकल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल किया जाए। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 (कोटक इंडिया) की ओर से उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए

उद्यम) कि मध्यस्थता खंड को उसमें आवश्यकता के अनुसार लागू नहीं किया गया है, क्योंकि प्रवर्तकों को एक मध्यस्थ का सुझाव देना होता है न कि कंपनी का, श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, प्रवर्तकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें मध्यस्थता याचिका में प्रतिवादी Nos.5 से 11 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ने बताया है कि मध्यस्थता की मांग करने वाली याचिका का समर्थन करते हुए हलफनामा दायर किया गया है और इसलिए, न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। यद्यपि श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री नितिन मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में खंड को लागू करने और मध्यस्थ के नाम का सुझाव देने के तरीके में खामियों को इंगित करके मध्यस्थता के संदर्भ का विरोध किया था, इस परिस्थिति में पक्षकारों के लिए एकमात्र उपाय मध्यस्थता के माध्यम से उनके विवाद का समाधान है जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम मध्यस्थता खंड के सार पर ध्यान देना और एक उपयुक्त न्यायाधिकरण का गठन करना उचित समझते हैं।

35. इस संबंध में इस बात पर विचार करना आवश्यक होगा कि क्या मामले को एकल न्यायाधिकरण को भेजा जाना है या प्रत्येक समझौते के संबंध में न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी है। श्री नितिन मिश्रा ने अपने लिखित में

तदनुसार। तत्काल मामले में भी पक्षों के बीच चार अलग-अलग समझौते किए गए हैं। खंड 20.04 में निहित मध्यस्थता का प्रावधान सभी समझौतों में समान है और पूरक समझौतों ने भी इसे अपनाया है। खंड 20.4। 1 के रूप में पढ़ें इसके नीचेः

" 20.4. 1 धारा 20.4 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर। 2 , यहाँ पक्ष इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से संबंधित या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, विवाद या दावा (जिसमें इंडस बायोटेक पी. वी. टी. लिमिटेड v.

कोटाक इंडिया वेंचर (ऑफशोर) फंड (EARLIER KNOWN AS KOTAK INDIA VENTURE LIMITED)

यहाँ किसी प्रदर्शनी, अनुलग्नक या अनुसूची का कोई प्रावधान) या

इसके अस्तित्व, उल्लंघन, समाप्ति या वैधता (एक "विवाद") का अंत में मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया जाएगा। मध्यस्थता की जाएगी

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। मध्यस्थता होगी मुंबई में आयोजित किया जाएगा और तीन (3) मध्यस्थों द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे मध्यस्थों की नियुक्ति के उद्देश्य से, के. आई. वी. एफ. I, के. ई. आई. टी. और

एक ओर के. आई. वी. एल. संयुक्त रूप से कार्य करेगा और दूसरी ओर प्रवर्तक, एक समूह के रूप में, प्रत्येक एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, और तीसरा मध्यस्थ, जो अध्यक्ष होगा, का चयन दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा। यदि कोई पक्ष किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के दूसरे पक्ष के इरादे की लिखित सूचना प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहता है, या दोनों पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थों के चयन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ की पहचान करने में विफल रहने की स्थिति में, ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा शुरू किए गए आवेदन पर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा की जाएगी। इस प्रकार गठित एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को यहाँ "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है। यदि कोई नियुक्त मध्यस्थ किसी न्यायाधिकरण के मध्यस्थ के रूप में कार्य करना जारी नहीं रख सकता है, तो ऐसे मध्यस्थ को नियुक्त करने वाले पक्ष (या तीसरे मध्यस्थ के मामले में दो नियुक्त मध्यस्थ) को इसके अनुसार एक प्रतिस्थापन मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार होगा।

इस धारा के प्रावधान 20.4। 1 . "

36. मध्यस्थता समझौते के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मध्यस्थता मुंबई में आयोजित की जाएगी और तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के उद्देश्य से के. आई. वी. एफ. I, के. ई. आई. टी. और के. आई. वी. एल. को संयुक्त रूप से

अपने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक मध्यस्थ और इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों को नियुक्त करें। दूसरे समझौते की तारीख 20.07.2007 में, निवेशक के रूप में 'के. एम. आई. एल.' दूसरी तरफ है। 20.07.2007 दिनांकित तीसरे समझौते में, निवेशक के रूप में 'किव्फी' दूसरी तरफ है और 09.01.2008 दिनांकित चौथे समझौते में इसका वही खंड है जो पहले समझौते में है।

समझौता। इस प्रकार नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो अध्यक्ष होंगे। विभिन्न समझौतों में पाठ (सी) हालांकि कोटक निवेश उद्यम में प्रत्येक इकाई को संदर्भित करता है और शेयरों में निवेश की गई राशि को संदर्भित किया जाता है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि के. एम. आई. एल., के. आई. वी. एफ. I, के. ई. आई. टी. और के. आई. वी. एल. द्वारा अभिदान किए गए इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों को सामूहिक रूप से 'वित्तीय निवेशक शेयरों' के रूप में संदर्भित किया जाता है। यदि उक्त पहलू पर [2021] 7 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें शामिल मुद्दों की प्रकृति मुख्य रूप से तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने और उसके तहत काम किए जाने वाले सूत्र के संबंध में है, वर्तमान तथ्यों में इस तरह के विचार को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल किया जा सकता है जिसमें समान सदस्य शामिल हैं लेकिन अलग से।

प्रत्येक समझौते के संबंध में गठित। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए यह खुला रहेगा कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों के लिए समझौते में अलग-अलग कार्यवाही करके कार्यवाही के संचालन के तौर-तरीकों पर काम करे।

मध्यस्थता और घरेलू विवादों को जोड़कर। अन्य सभी मुद्दे जो गुण-दोष के आधार पर उठाए गए हैं, उन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना है और इसलिए उन्हें इस कार्यवाही में संदर्भित नहीं किया गया है।

37. चूंकि इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने श्री जस्टिस को नामित किया था

वी. एन. खरे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने दिनांकित पत्र के माध्यम से उक्त विद्वान मध्यस्थ को प्रस्तावित माना जाता है

कंपनी और प्रवर्तकों द्वारा संयुक्त रूप से। श्री न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को दूसरे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है क्योंकि प्रतिवादी नामित करने में विफल रहे थे। उक्त विद्वान मध्यस्थ पारस्परिक रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में एक तीसरे मध्यस्थ को नामित करेंगे।

38. परिणामस्वरूप, निम्नलिखित क्रम;

(ii) 2019 की मध्यस्थता याचिका No.48 की अनुमति है। ((ग) पक्षकार इन कार्यवाहियों में अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील खारिज कर दी गई और मध्यस्थता की अनुमति दी गई।

निधि जैन